39

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 780-दो/2006 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 20-3-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 469/2001-02 अपील

1- रबिकिरण गर्ग उर्फ रबिकरण पुत्र रामदेव
2- गणेशप्रसाद गर्ग पुत्र रामवेदव गर्ग
दोनों ग्राम कोडर तहसील नागौद जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्व

1- बालमीकप्रसाद पुत्र रामायण प्रसाद गर्ग
2- रामाण पुत्र रामदेव गर्ग दोनों निवासी
ग्राम कोडर तहसील नागौद जिला सतना --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 469/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2006 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला देवरती के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 111, 112, 113, 121, 282, 283, 284 , 290 कुल रकबा 4 वीघा 19 विसवा थी, जिसकी बसीयत बालमीक प्रसाद के नाम थी। भूमि-

स्वामी देवरती की मृत्यु उपरांत पंजीकृत बसीयत के आधार पर बसीयतग्रहीता का 26-6-1993 को नामान्तरण किया गया। नामांत्रण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नागौद के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 111/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2002 से अपील स्वीकार कर बसीयत के आधार पर किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 469/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2006 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी नागौद के आदेश दिनांक 31-1-2002 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 111, 112, 113, 121, 282, 283, 284 , 290 कुल रकबा 4 वीघा 19 विसवा पर फर्जी बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया गया है राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 26-6-93 त्रृटिपूर्ण था जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नागौद को अपील की गई थी तथा आदेश दिनांक 31-1-02 से अपील वास्तविक आधारों पर स्वीकार हुई है। अनुविभागीय अधिकारी का रिमान्ड आदेश था जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी होना थी किन्तु अपर आयुक्त ने अपील प्रकरण में गलत आधारों पर आदेश पारित किया है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 20-3-06 गलत होने से निरस्त किया जाय।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी नागौद का आदेश दिनांक 31-1-02 प्रत्यावर्तन आदेश था, तब ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की ग्राह्यता पर आवेदकगण को तत्समय अपर आयुक्त के समक्ष आपत्ति करना थी, जो समय रहते उन्होंने नहीं की है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 469/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2006 में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं तथा पॅजीकृत बसीयत के आधार पर बसीयतग्रहीता का नामान्तरण होना उचित पाया गया है जिसके कारण उन्होंने पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी न बढ़े, इस उद्वेश्य को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक

20-3-06 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष प्रतीत नहीं होता है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमि सम्मिलित परिवार की भूमि है जिसके कारण बसीयत के आधार पर नामान्तरण करके अन्य पक्षकारों के हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि तत्समय महिला देवरती के स्वत्व एंव स्वामित्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज थीं जिसकी उन्होंने पॅजीकृत बसीयत की है यदि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि में स्वयं् का स्वत्व होना बताते हैं स्वत्व के बिन्दु का निराकरण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है एंव आवेदकगण स्वत्व के मामले का निराकरण सक्षम न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 469/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर